

Witness no. ...04.....forअभियोजन साक्ष्य.....Deposition taken

the ...09-01-2026.....day of ..शुक्रवार.. Witness's Apparent Age ...29 Years.....

States on affirmationशपथपूर्वक.....My name isसुभाष सिंह... ..

S/ ofश्री अजीत सिंह... Occupationवाहन चालक... ..

address&..... जनता कॉलोनी, तिलक नगर गुढियारी, थाना गुढियारी, जिला रायपुर छ.ग.

साक्ष्य प्रारंभ -03.45 पी०एम० ।

मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री राजेन्द्र मल्होत्रा अतिरिक्त लोक अभियोजक -

01. मैं आरोपीगण को नहीं पहचानता हूं । साक्षी को आरोपीगण 1. बंटी भोजवानी, 2. शिव कुमार निर्मलकर, 3. जशवंत नायक, 4. अमन सारथी, 5. प्रदीप जामुलकर, 6. हर्ष कुमार सोनी, 7. दिलीप कुमार बजाज, 8. समीर कुमार बजाज, 9. आकाश ताण्डी, 10. भरत परिहार, 11. भूपेन्द्र सिंह, 12. मनीष कुमार यादव, 13. अनील क्षत्री, 14. गौरव मचखंड, 15. अभिनव नागवंशी, 16. मोहित मंडावी, 17. जुजेश सोना, 18. जितेन्द्र महानंद, 19. जय बघेल, 20. श्रवण देवांगन, 21. तरुण क्षत्री, 22. अभिषेक शर्मा, 23. अजय कुमार साहू, 24. भावेश उदवानी, 25. दिलीप सोना, 26. अविनाश तांडेकर, 27. रवि कुमार ध्रुव, 28. शेख सोयेब, 29. बज्जू शर्मा, 30. रितिक शर्मा, 31. मनोज जांगिड़, 32. कामनी ग्वाल, 33. नजामी बाबू, 34. कृष्णा यादव, 35. रवि पंजवानी, 36. जयंत घोष, 37. सूर्यकांत तिवारी, 38. निखिल आहुजा, 39. संजय जशवानी, 40. पूजा ध्रुव, 41. चंद्रमुखी सिन्हा, 42. रोहित कस्तूरिया, 43. रूपेश महानंद, 44. अंजू कुमारी, 45. धर्मेन्द्र कुमार राय, 46. मोह. अमन, 47. इशिका सिंह, 48. शुभम कोरी, 49. रवि राज पांडे, 50. प्रद्युम्न महानंद, 51. विशाल ताण्डी, 52. साहिल जेठवानी, 53. पृथ्वीराज सागरिया, 54. प्रवीण कुमार दुबे, 55. धीरेन्द्र निर्मलकर, 56. ममता साहू, 57. राजेश मंधानी, 58. संजय माखिजा, 59. भूमिका नायक, 60. कमलेश्वर मुगरी, 61. हर्ष सोनी, 62. कृष्णा घोड़ेसवार, 63. ज्योति मिश्रा, 64. अजय ताण्डी, 65. शब्बीर खान, 66. राजेश ताण्डी, 67. सचिन कुमार गिरी, 68. अतहर नवाज, 69. चंदन कुमार सिंह, 70. किशोर छाबड़ा, 71. अब्दुल गनी मेनन, 72. आशीष कलवानी, 73. प्रियेश यादव, 74. निखिल

चावला, 75. बॉबी खत्री के गिरफ्तारी पत्रक में चस्पित फोटो दिखाये जाने पर उन्हें नहीं पहचानना बताया ।

02. मैं रेंज साईबर थाना का वाहन चालक हूं । आज से लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व रेंज साईबर थाना के पुलिस वाले मुझसे बहुत सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाये थे, तब मैंने पुलिस के कहने पर सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था । उन दस्तावेजों पर पुलिस ने क्या लिखापढी किया था मुझे आज जानकारी नहीं है । साक्षी को प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों को दिखाकर पूछे जाने पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । अभियुक्ता ममता साहू का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-1**, अभियुक्ता भूमिका नायक का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-2**, अभियुक्त बंटी भेजवानी का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-3**, अभियुक्त हर्ष सोनी का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-4**, अभियुक्ता ज्योति मिश्रा का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-5**, अभियुक्त शिव कुमार निर्मलकर का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-6**, अभियुक्त जशवंत नायक का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-7**, अभियुक्त अमन सारथी का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-8**, अभियुक्त प्रदीप जामुलकर का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-9**, अभियुक्त हर्ष कुमार सोनी पिता कमल नारायण सोनी का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-10**, अभियुक्त दिलीप कुमार बजाज का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-11**, अभियुक्त समीर बजाज का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-12**, अभियुक्त आकाश ताण्डी का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-13** है, जिसके ब से ब भागों पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

03. अभियुक्त भरत परिहार का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-14**, अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह भुन्ना का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-15**, अभियुक्त मनीष कुमार यादव का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-16**, अभियुक्त अनील क्षत्री का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-17**, अभियुक्त अभिनव नागवंशी का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-18**, अभियुक्त मोहित मंडावी का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-19**, अभियुक्त राजेश मंधानी का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-20**, अभियुक्त जुगेश सोना का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-21**, अभियुक्त जितेन्द्र महानंद का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-22**, अभियुक्त कमलेश्वर मुगरी का गिरफ्तारी

पत्रक प्रदर्श पी-23, अभियुक्त जय बघेल का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-24, अभियुक्त श्रवण कुमार देवांगन का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-25, अभियुक्त तरुण क्षत्रीय का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-26 है, जिसके ब से ब भागों पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

04. अभियुक्त अभिषेक शर्मा का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-27, अभियुक्त अजय कुमार साहू का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-28, अभियुक्त भावेश उदवानी का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-29, अभियुक्त दिलीप सोना का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-30, अभियुक्त अविनाश तांडेकर का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-31, अभियुक्त रवि कुमार ध्रुव का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-32, अभियुक्त शेख सोहेल का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-33, अभियुक्त विशाल ताण्डी का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-34, अभियुक्त मनोज जांगड़े का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-35, अभियुक्त कामनी ग्वाले का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-36, अभियुक्त नजामी बाबू का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-37, अभियुक्त कृष्णा यादव का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-38, अभियुक्त रवि पंजवानी का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-39, अभियुक्त जयंत घोष का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-40, अभियुक्त सूर्यकांत तिवारी का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-41 है, जिसके ब से ब भागों पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

05. अभियुक्त निखिल आहुजा का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-42, अभियुक्त संजय जशवानी का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-43, अभियुक्त कु. पूजा ध्रुव का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-44, अभियुक्त चंद्रमुखी सिन्हा का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-45, अभियुक्त साहिल जेठवानी का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-46, अभियुक्त पृथ्वीराज सदरिया का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-47, अभियुक्त प्रवीण कुमार दुबे का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-48, अभियुक्त रूपेश महानंद का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-49, अभियुक्त अंजू मानिकपुरी का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-50, अभियुक्त धीरेन्द्र निर्मलकर का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-51 है, जिसके ब से ब भागों पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

06. अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार राय का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-52**, अभियुक्त मोह. अमन का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-53**, अभियुक्त इशिका सिंह का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-54**, अभियुक्त कृष्ण कुमार घोड़ेसवार का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-55**, अभियुक्त शुभम कोरी का गिरफ्तारी पत्रक **प्रदर्श पी-56** है, जिसके ब से ब भागों पर मेरे हस्ताक्षर हैं ।

07. मेरे समक्ष किसी भी आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की गई थी और न ही मेरे समक्ष किसी भी आरोपी से पूछताछ कर कोई जसी की कार्यवाही की गई थी । पुलिस ने मुझे उपरोक्त प्रकरण में गवाह बनने हेतु कोई नोटिस नहीं दिया था । साक्षी को प्रकरण में संलग्न आरोपीगण का मेमोरेंडम कथन दिखाकर पूछे जाने पर आरोपी ममता साहू के मेमोरेंडम कथन **प्रदर्श पी-57** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी भूमिका नायक के मेमोरेंडम कथन **प्रदर्श पी-58** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी बंटी भेजवानी के मेमोरेंडम कथन **प्रदर्श पी-59** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी हर्ष सोनी के मेमोरेंडम कथन **प्रदर्श पी-60** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया ।

08. आरोपी ज्योति मिश्रा के मेमोरेंडम कथन **प्रदर्श पी-61** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी शिव कुमार निर्मलकर के मेमोरेंडम कथन **प्रदर्श पी-62** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी जशवंत नायक के मेमोरेंडम कथन **प्रदर्श पी-63** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी अमन सारथी के मेमोरेंडम कथन **प्रदर्श पी-64** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी प्रदीप जामुलकर के मेमोरेंडम कथन **प्रदर्श पी-65** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी हर्ष कुमार सोनी के मेमोरेंडम कथन **प्रदर्श पी-66** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया ।

09. आरोपी दिलीप कुमार बजाज के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-67 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी समीर कुमार के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-68 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी आकाश ताण्डी के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-69 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी भरत परिहार के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-70 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी भूपेन्द्र भुन्ना के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-71 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी मनीष कुमार यादव के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-72 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

10. आरोपी अनील क्षत्रीय के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-73 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी अभिवन नागवंशी के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-74 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी मोहित मंडावी के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-75 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी राजेश मंधानी के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-76 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी जुगेश सोना के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-77 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी जितेन्द्र महानंद के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-78 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी कमलेश मुगरी के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-79 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया ।

11. आरोपी जय बघेल के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-80 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी श्रवण देवांगन के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-81 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी तरुण क्षत्रीय के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-82 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी अभिषेक शर्मा के मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-

83 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी अजय कुमार साहू के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-84** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी भावेश उदवानी के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-85** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी दिलीप सोना के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-86** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी अविनाश तांडेकर के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-87** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया ।

12. आरोपी रवि कुमार ध्रुव के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-88** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी शेख सोएब के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-89** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी विशाल ताण्डी के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-90** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी मनोज जांगड़े के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-91** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी कामनी ग्वाले के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-92** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी नजामी बाबू के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-93** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी कृष्णा यादव के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-94** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया।

13. आरोपी रवि पंजवानी के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-95** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी जयंत घोष के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-96** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी सूर्यकांत तिवारी के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-97** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी निखिल आहुजा के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-98** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी संजय जसवानी के मेमोरेण्डम कथन **प्रदर्श पी-99** के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी

चंद्रमुखी सिन्हा के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-100 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी साहिल जेठवानी के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-101 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी पृथ्वीराज सगरिया के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-102 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया ।

14. आरोपी प्रवीण कुमार दुबे के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-103 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी रूपेश महानंद के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-104 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी अंजू महानंद के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-105 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी धीरेन्द्र निर्मलकर के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-106 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी धर्मेन्द्र कुमार राय के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-107 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी मोह. अमन के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-108 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी इशिका सिंह के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-109 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया ।

15. आरोपी कृष्ण कुमार घोड़ेसवार के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-110 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । आरोपी शुभम कोरी के मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-111 के ब से ब भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया ।

16. साक्षी को प्रकरण में संलग्न धारा 179 का नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी-157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 दिखाकर पूछे जाने पर अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । साक्षी को प्रकरण में संलग्न आरोपी बज्जू शर्मा मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-164 दिखाकर पूछे जाने पर अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । उपरोक्त प्रकरण में संलग्न गिरफ्तारी

पत्रक प्रदर्श पी-165 के अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । साक्षी को प्रकरण में संलग्न आरोपी रितिक शर्मा का मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-166 दिखाकर पूछे जाने पर अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-167 के अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया ।

17. साक्षी को प्रकरण में संलग्न आरोपी संजय माखिजा का मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-168 दिखाकर पूछे जाने पर अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-169 के अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । मुझे दिनांक 16.06.2025 को साईबर रेंज थाना द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया था । साक्षी को प्रकरण में संलग्न धारा 179 बीएनएसएस का नोटिस क्रमशः प्रदर्श पी-170, 171, 172, 173 दिखाकर पूछे जाने पर अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया । साक्षी को प्रकरण में संलग्न अभियुक्त किशोर छाबड़ा का मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी-174 दिखाकर पूछे जाने पर अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया ।

टीप- इसी स्तर पर अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर उससे प्रतिपरीक्षण स्वरूप सूचक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी। अभिलेख के अवलोकन एवं विचार पश्चात अनुमति दी गयी।

18. यह कहना गलत है कि, पुलिस वालो ने मुझे गवाह बनने हेतु कोई नोटिस दिया था। यह कहना गलत है कि, मेरे सामने रेंज साईबर थाना के पुलिस वालों के द्वारा आरोपीगण से पूछताछ कर बयान दर्ज किया था । यह कहना गलत है कि, पुलिस वालों ने आरोपीगण को मेरे समक्ष गिरफ्तार किया था । यह कहना गलत है कि, मैं आरोपीगण को बचाने के लिए आज न्यायालय में झूठा कथन कर रहा हूँ ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री प्रदीप गिरी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त श्रवण देवांगन, आकाश ताण्डी

19. यह कहना सही है कि, मैं सायबर सेल के वाहन का चालक हूं। यह कहना सही है कि, सायबर सेल के पुलिस वालों के कहने पर मैंने उक्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था। यह कहना सही है कि, पुलिस वालों ने थाने में मुझसे कागजों में हस्ताक्षर करवाये थे, हस्ताक्षर करवाते समय सिर्फ मैं अकेला था, उस वक्त वहां पर और कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं थे। यह कहना सही है कि, पुलिस वालों ने जिन कागजों पर मुझसे हस्ताक्षर करवाये थे, उसमें क्या लिखापढी किये थे उनके द्वारा मुझे पढकर बताया नहीं गया था और नही मुझे पढने दिया गया था। यह कहना सही है कि, पुलिस वालों ने हस्ताक्षर करवाने के पूर्व मुझे यह कहकर कागजों में हस्ताक्षर करवाया था कि, एक औपचारिकता है, इसके अतिरिक्त कोई कार्यवाही संबंधी हस्ताक्षर नहीं करवाये गये थे।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एम एम तिवारी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त शिव निर्मलकर, यशवंत नायक

20. कुछ नहीं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री कैलाश वर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रवि कुमार, कामनी ग्वाल

21. कुछ नहीं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दिवाकर सिन्हा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रितिक शर्मा

22. कुछ नहीं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री राजकुमार कडोले अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त मनोज जांगडे

23. कुछ नहीं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जे पी पाठक अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त ज्योति मिश्रा, अभिषेक शर्मा

24. कुछ नहीं।

25. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री भूपेन्द्र साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह धुन्ना, निखिल आहुजा
कुछ नहीं ।
26. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जगदीश चंद्र नायक अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त बंटी भोजवानी
कुछ नहीं ।
27. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री राजेश टंडन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रोहित कस्तूरिया
कुछ नहीं ।
28. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री भूपेन्द्र साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह धुन्ना, निखिल आहुजा
कुछ नहीं ।
29. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती वर्षा राठौर अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त संजय माखिजा
कुछ नहीं ।
30. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सुधांशु श्रीवास्तव अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त मोह. अमन, शेख सोहेब
कुछ नहीं ।
31. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आकाश जसूजा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त संजय माखीजा, प्रियेश यादव व बॉबी खत्री
कुछ नहीं ।
32. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री फैसल रिजवी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण प्रवीण कुमार दुबे, इशिका सिंह, हर्ष सोनी, संजय जशवानी, मोह. शब्बीर, आशीष कलवानी
कुछ नहीं ।

33. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री कैलाश वर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण कामिनी ग्वाल, रवि कुमार ध्रुव
कुछ नहीं ।

34. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री चंद्रशेखर चंद्रकार अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण अभिनव नागवंशी
कुछ नहीं ।

35. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्रीमती इंद्राणी चौधरी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त कृष्णा घोड़ेसवार
कुछ नहीं

36. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आशुतोष दुबे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रवि पंजवानी
कुछ नहीं ।

37. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री असीम विश्वकर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त मोहित मंडावी
कुछ नहीं ।

38. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सुभाष कुर्रे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त पृष्ठीराज सागरिया
कुछ नहीं ।

39. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अखिलेश सोनी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त ममता साहू एवं भूमिका नायक
कुछ नहीं ।

40. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री मातामणी तिवारी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त शिव कुमार निर्मलकर, जसवंत
नायक
कुछ नहीं ।

41. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री टी०एस०सेठ अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त प्रदीप जामुलकर
कुछ नहीं ।

42. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अंकित फुलझेले अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त हर्ष कुमार सोनी, भरत परिहार, मनीष
कुमार यादव
कुछ नहीं ।

43. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री आयुष वर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त अनील क्षत्रीय
कुछ नहीं ।

44. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अलीमुद्दीन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त गौरव मचखंड
कुछ नहीं ।

45. प्रतिपरीक्षण द्वारा सुश्री रानी देवांगन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त राजेश ताण्डी, सचिन कुमार गिरी
कुछ नहीं ।

46. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री लोकेश कुमार मिश्रा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त राजेश मंधानी एवं अविनाश
कुछ नहीं ।

47. प्रतिपरीक्षण द्वारा सुश्री सरिता कुर्रे अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त जोगेश सोना, तरुण क्षत्रिय, दिलीप सोना
कुछ नहीं ।

48. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एन के शाडिल्य अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त जितेन्द्र महानंद
कुछ नहीं ।

49. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त कमलेश मुगरी
कुछ नहीं ।

50. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री सी पी सोनी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त जय बघेल
कुछ नहीं ।

51. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री मोहम्मद वसीम अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त भावेश उदवानी, शुभम कोरी
कुछ नहीं ।

52. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री जे एल सोनबेर अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार, कृष्णा यादव
कुछ नहीं ।

53. प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री एस अहमद अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त अब्दुल गनी
कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री ऋषभ मिश्रा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त बज्रू शर्मा

54. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री लाकेश्वर चंद्राकर अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त समीर बजाज, दिलीप बजाज

55. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री रमेश कुमार साहू अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त निखिल चावला

56. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अभिषेक टंडन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त रूपेश महानंद, चंद्रमुखी सिन्हा एवं पूजा ध्रुव

57. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री दीपांकर बेनर्जी अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त जयंत घोष

58. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री रत्नेश दास अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त किशोर छाबड़ा

59. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री अरुण कुमार मिश्रा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त अजय कुमार साहू

60. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री फईम खान (डिप्टी चीफ लीगल एण्ड डिफेंस काउंसल) वास्ते शेष अभियुक्तगण

61. कुछ नहीं ।

प्रतिपरीक्षण समाप्त- 04.25 पी०एम०।

साक्षी को पढकर सुनाया गया ।

सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया ।

सही/-

(बृजेश राय)

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला -रायपुर छ.ग.

सही/-

(बृजेश राय)

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
जिला -रायपुर छ.ग.